राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(बी.एड.) स्था /निकाशि/2012/29 दिनांक : 14-05-2013

कार्यालय आदेश

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के नियम 4(3)क में वर्णितानुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर राजस्थान द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 08.07.2011 द्वारा गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित व्याख्याता/पुस्ताकालयाध्यक्ष/ अनुदेशक, जिन्होने उक्त नियमों के अधीन उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तो के अनुसार नियुक्त किये जाने की वांछा की है, को व्याख्याता/पुस्ताकालयाध्यक्ष/ अनुदेशक, पद की उपयुक्तता का न्याय निर्णयन करते हुए इन्हें व्याख्याता/पुस्ताकालयाध्यक्ष/ अनुदेशक, पद पर नियुक्त किये जाने संबंधी अनुशंषा के आधार पर उक्त नियमों के नियम 5(ii) के अनुसार पृथक मृत संवर्ग गठित करने हुए राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम – 2010 में उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तो के तहत राजकीय सेवा में नियुक्त होने के फलस्वरूप कार्मिकों के नाम के सम्मुख अंकित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के महाविद्यालयों में व्याख्याता/पुस्ताकालयाध्यक्ष/ अनुदेशक, (R.V.R.E.S.) पद पर विद्यमान वेतनमान पर पदस्थापित किया जाता हैः–

1. ये इन नियमों के अधीन अधिवार्षिता आयु प्राप्त करने तक किसी पदोन्नति के हकदार नहीं होगें तथापि इन्हें सुनिश्चित कैरियर वृद्धि/कैरियर समुन्नति स्कीम का लाभ अनुज्ञात किया जायेगा। सुनिश्चित कैरियर समुन्नति स्कीम की मंजूरी के प्रयोजनार्थ कालावधि की गणना स्वीकृत ओर सहायता प्राप्त पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख से की जावेगी।

2. यह नियुक्ति राजस्थान शिक्षा (महा. शाखा) सेवा नियम, 1986 के अध्यधीन नहीं की जा रही है वरन् राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम, 2010 के नियम 5 (ii) के अनुरूप मृत संवर्ग के रूप में की जा रही है।

3. यह मृत संवर्ग के पद चाहे किसी भी कारण से यथा अधिवार्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृति/सेवा समाप्ति/सेवा में रहते हुए मृत्यु/कर्मचारी के त्याग पत्र इत्यादि के कारण पदों के रिक्त होते ही स्वतः समाप्त हो जायेगें। इससे महाविद्यालय शिक्षा विभाग के पूर्व से सृजित पद समाप्त नहीं होगें।

4. इनका वेतन इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति के समय यथा आहरित वेतन के आधार पर इनके इस आदेश की अनुपालना मे पद ग्रहण करने की तारीख से छठें वेतन आयोग के अनुसार वेतन नियत किया जायेगा। इन कर्मचारियों को इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति के पश्चात् सरकार में पद ग्रहण करने की तारीख से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम– 2008 के लाभ अनुज्ञात किये जायेगें।

5. उपार्जित अवकाश के अतिशेष अग्रनीत करने को अनुज्ञात नही किया जायेगा। कर्मचारी संबंधित सहायता अनुदानित शैक्षिक संस्थाओं से उपार्जित अवकाश के अतिशेष के नगदीकरण का भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये राज्य सरकार द्वारा कियी भी मद्दे कोई भी बकाया, चाहे वह कुछ भी हो (वेतन, चयनित वेतनमान, सुनिश्चित कैरियर वृद्धि या कैरियर समुन्नति स्कीम के बकाया को सम्मिलित करते हुए) संदत्त नहीं किये जायेंगें।

7. इन नियमों के अधीन सरकारी सेवा में नियुक्त किये गये ये व्यक्ति पेंशन स्कीम के लिए पात्र नहीं होगें अंशदायी भविष्य निधि अंशदान, यदि इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये, गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जमा नहीं कराया गया हो तो, राज्य सरकार द्वारा संदत्त नहीं किया जायेगा। नियुक्त कार्मिक पर राजस्थान सिविल सेवा (अंशदान पेंशन) नियम, 2005 ही लागू होगा।

8. अनुदान / सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में सेवा की कालावधि की गणना उपादान के संदाय के लिये नही की जायेगीं। कर्मचारी संबंधित सहायता / अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थओं से अपने उपादान की संदाय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। राज्य सरकार का इस संबंध में कोई उत्तर दायित्व नहीं होगा।

9. इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त इन व्यक्तियों की अन्य सेवा शर्ते 01.01.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त व्यक्तियों पर लागू विभिन्न सेवा नियमों द्वारा विनियमित होगी।

10 इन्हे अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रो में स्थित सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में ही सेवा करनी होगी।

11. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक योग्यता की वैधता की जाँच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः संबंधित संस्था प्रधान ऐसे अभ्यर्थियों से 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से प्रमाणित करवा कर इनके द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में ही प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें इस आदेश के द्वारा प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

12. संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनकी सभी शैक्षिणिक योग्यता से संबंधित अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों की मूल दस्तावेजों से मिलान करने के उपरान्त उसकी एक–एक प्रमाणित छाया प्रतियाँ प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख नें सुरक्षित रखेगें।

13 इन्हें दिनांक 25.05.2013 तक अनिवार्यतः पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा। कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि संबंधी कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उन्हें इन नियमों के अधीन प्रदत्त यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। कार्यग्रहण करने पर इन्हें यात्रा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा।

14. यदि महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र मे स्थित हो तो महाविद्यालय का प्राचार्य इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावें एवं संबंधित नियुक्ति अधिकारी को अविलम्ब अवगत करावें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित (ग्रामीण एवं विशेष क्षेत्रों की सूची संलग्न हैं।)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एंव पिता / पति का नाम	पद	अनुदानित महाविद्यालय का नाम	जन्म तिथि	पदस्थापित राजकीय महाविद्यालय
1	डॉ0 आशा भंसाली / श्री विजय मल	व्याख्याता शिक्षा	शाह गोवर्धनलाल काबरा शिक्षक महा. (सी.टी.ई.) जोधपुर	01.02.54	राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़

2	डॉ0 जितेन्द्र शर्मा/श्री राजेन्द्र शर्मा	व्याख्याता शिक्षा	शाह गोवर्धनलाल काबरा शिक्षक महा. (सी.टी.ई.) जोधपुर	28.12.57	राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़
3	डॉ0 शोभा गुप्ता/श्री बाबूराम गुप्ता	व्याख्याता शिक्षा	शाह गोवर्धनलाल काबरा शिक्षक महा. (सी.टी.ई.) जोधपुर	16.07.53	राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़
4	डॉ0 इन्दु गहलोत/श्री मोहबत सिंह	व्याख्याता शिक्षा	शाह गोवर्धनलाल काबरा शिक्षक महा. (सी.टी.ई.) जोधपुर	21.06.67	राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद
5	डॉ0 अर्चना पुरोहित/श्री प्रकाश चन्द	व्याख्याता शिक्षा	शाह गोवर्धनलाल काबरा शिक्षक महा. (सी.टी.ई.) जोधपुर	27.05.66	राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा
6	डॉ0 वन्दना अरोड़ा/श्री प्रयाग राज	व्याख्याता शिक्षा	शाह गोवर्धनलाल काबरा शिक्षक महा. (सी.टी.ई.) जोधपुर	12.02.60	राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद
7	डॉ0 विजया जैन/श्री आर0के0जैन	व्याख्याता शिक्षा	शाह गोवर्धनलाल काबरा शिक्षक महा. (सी.टी.ई.) जोधपुर	21.05.65	राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़
8	डॉ0 मधु उज्जवल/श्री नारायण सिंह	व्याख्याता शिक्षा	शाह गोवर्धनलाल काबरा शिक्षक महा. (सी.टी.ई.) जोधपुर	25.05.67	राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़
9	डॉ0 अनार सिंह/श्री विजय सिंह	व्याख्याता शिक्षा	शाह गोवर्धनलाल काबरा शिक्षक महा. (सी.टी.ई.) जोधपुर	12.08.58	राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़
10	डॉ0 भूपेन्द्र सिंह देथा/श्री सुमूर दान	व्याख्याता शिक्षा	शाह गोवर्धनलाल काबरा शिक्षक महा. (सी.टी.ई.) जोधपुर	01.01.57	राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद
11	डॉ0 गोपाल सिंह शेखावत/श्री अमर सिंह शेखावत	व्याख्याता शिक्षा	शाह गोवर्धनलाल काबरा शिक्षक महा. (सी.टी.ई.) जोधपुर	02.06.58	राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद
12	डॉ0 भूपेन्द्र कुमार पण्ड्या/श्री शान्ति लाल पण्ड्या	व्याख्याता शिक्षा	शाह गोवर्धनलाल काबरा शिक्षक महा. (सी.टी.ई.) जोधपुर	09.03.66	राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़
13	डॉ0 भरत टांक/श्री सोहनलाल टांक	व्याख्याता शिक्षा	शाह गोवर्धनलाल काबरा शिक्षक महा. (सी.टी.ई.) जोधपुर	09.04.58	राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद
14	डॉ0 विकास मोदी/श्री रामेश्वर मोदी	व्याख्याता शिक्षा	शाह गोवर्धनलाल काबरा शिक्षक महा. (सी.टी.ई.) जोधपुर	01.06.72	राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़
15	डॉ0 अनिल कुमार जैन/श्री भगवती लाल जैन	व्याख्याता शिक्षा	विद्याभवन गो.से. शिक्षक महावि., उदयपुर	08.08.65	राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा
16	डॉ0 अनिल पालीवाल/श्री चिरंजीव लाल पालीवाल	व्याख्याता शिक्षा	विद्याभवन गो.से. शिक्षक महावि., उदयपुर	04.04.65	राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा
17	श्रीमती अनिता कटेवा/श्री आर.के.	व्याख्याता शिक्षा	विद्याभवन गो.से. शिक्षक महावि., उदयपुर	09.08.60	राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद

	सिंह				
18	डॉ0 कमलेश झा	व्याख्याता शिक्षा	विद्याभवन गो.से. शिक्षक महावि., उदयपुर	10.08.64	राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा
19	डॉ0 शीमा सरूपरिया/श्री रणजीत सिंह सरूपरिया	व्याख्याता शिक्षा	विद्याभवन गो.से. शिक्षक महावि., उदयपुर	24.10.66	राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा
20	डॉ0 भगवतीप्रसाद शर्मा/श्री रामस्वरूप शर्मा	व्याख्याता शिक्षा	विद्याभवन गो.से. शिक्षक महावि., उदयपुर	16.09.54	राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा
21	डॉ0 रूचि रावत/श्री आर.एस. रावत	व्याख्याता शिक्षा	विद्याभवन गो.से. शिक्षक महावि., उदयपुर	15.01.73	राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा
22	श्रीमति बाशोबी भटनागर/श्री राहुल भटनागर	व्याख्याता शिक्षा	विद्याभवन गो.से. शिक्षक महावि., उदयपुर	27.05.60	राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा
23	श्रीमती नलिनी पंचोली/श्री कृष्णमूर्ति सक्सेना	पुस्तकालय अध्यक्ष	विद्याभवन गो.से. शिक्षक महावि., उदयपुर	01.09.56	राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा
24	डॉ0 दया दवे/श्री भागरथ जोशी	व्याख्याता शिक्षा	विद्याभवन गो.से. शिक्षक महावि., उदयपुर	25.01.54	राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा
25	डॉ0 दिनेश कुमार/श्री प्रसन्न चन्द्र	व्याख्याता शिक्षा	बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महावि., गांधी विद्यामंदिर सरदारशहर (चूरू)	25.11.60	राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा
26	श्री अमिताभ शर्मा/श्री राजेन्द्र प्रसाद	व्याख्याता शिक्षा	बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महावि., गांधी विद्यामंदिर सरदारशहर (चूरू)	10.12.54	राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा
27	श्रीमती सरोज शर्मा/श्री सुगनाराम	व्याख्याता शिक्षा	बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महावि., गांधी विद्यामंदिर सरदारशहर (चूरू)	01.10.57	राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा
28	श्री अनिल कुमार उपाध्याय/श्री निवास शर्मा	व्याख्याता शिक्षा	बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महावि., गांधी विद्यामंदिर सरदारशहर (चूरू)	01.06.67	राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा
29	श्री राम मनोहर राय/श्री रामावतार राम.	व्याख्याता शिक्षा	बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महावि., गांधी विद्यामंदिर सरदारशहर (चूरू)	07.01.58	राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा
30	श्री रतनलाल भोजक/श्री डाल चन्द भोजक	व्याख्याता शिक्षा	बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महावि., गांधी विद्यामंदिर सरदारशहर (चूरू)	15.09.53	राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद
31	श्री हरपाल सिंह/श्री धूम सिंह	व्याख्याता शिक्षा	बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महावि., गांधी विद्यामंदिर सरदारशहर (चूरू)	01.10.56	राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा
32	डॉ0 संजय कुमार शर्मा/श्री ओम प्रकाश	व्याख्याता शिक्षा	बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महावि., गांधी विद्यामंदिर सरदारशहर (चूरू)	16.07.73	राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा
33	डॉ0 राजेश्वर प्रसाद/श्री जगदीश	व्याख्याता शिक्षा	बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महावि., गांधी विद्यामंदिर सरदारशहर (चूरू)	15.01.67	राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा

	प्रसाद				
34	श्री विद्यानन्द पाण्डे/श्री श्यामा पाण्डे	व्याख्याता शिक्षा	बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महावि., गांधी विद्यामंदिर सरदारशहर (चूरू)	08.07.56	राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा
35	श्रीमती रजनी शर्मा/श्री मदन लाल शर्मा	व्याख्याता शिक्षा	बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महावि., गांधी विद्यामंदिर सरदारशहर (चूरू)	20.05.64	राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा
36	डॉ0 रिषुदीप भटनागर/श्री रतिश मोहन भटनागर	व्याख्याता शिक्षा	बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महावि., गांधी विद्यामंदिर सरदारशहर (चूरू)	06.04.69	राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा
37	डॉ0 जितेन्द्र कुमार लोढ़ा/श्री झामन दास लोढ़ा	व्याख्याता शिक्षा	बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महावि., गांधी विद्यामंदिर सरदारशहर (चूरू)	19.08.68	राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा
38	डॉ0 राजेन्द्र शर्मा/श्री रामस्वरूप शर्मा	अनुदेशक कला	शाह गोवर्धनलाल काबरा शिक्षक महा. (सी.टी.ई.) जोधपुर	16.02.65	राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा

(आर.एस. मक्कड़)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक एफ1(बी.एड.) स्था /निकाशि/2012/ 29 दिनांकः 14-05-2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उपसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी/उपविधि परामर्शी निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (स्थापना/अनुदान/कार्मिक/अकादमी), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. लेखाधिकारी, शिक्षा ग्रुप–5, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
11. संबधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
12. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय।
13. संबंधित पुस्तकालयध्यक्ष।
14. संस्थापन/कम्प्यूटर/गोपनीय/कार्मिक शाखाा/नोड़ल आफिसर, विभागीय वेबसाईट।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर